स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 154, दिनांकः 18–05–2025

मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो (बी0ए0, बी0एड0, बी0ए0–एल0एल0बी0, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि) की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले विश्वविद्यालय के चेयरमैन एवं प्रो0 चांसलर सहित 10 गिरफ्तार।

दिनांक 18–05–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो (बी0ए0, बी0एड0, बी0ए0–एलएलबी, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि) की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर एवं स्टॉफ सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– **चौधरी विजेन्द्र सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह हुड्डा पुत्र सुरेश पाल नि0 209 सिल्वरपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ। (चेयरमैन मोनाड विश्वविद्यालय)**

2– **नितिन कुमार सिंह पुत्र यशवीर सिंह नि0 19–आनन्द लोक रूड़की रोड़ मेरठ। (प्रो0 चांसलर, मोनाड विश्वविद्यालय)**

3– मुकेश ठाकुर पुत्र प्रधान सिंह ठाकुर एफ–6 कटवारिया सराय, नई दिल्ली। (पी0ए0 आफ चेयरमैन मोनाड विश्वविद्यालय)

4– गौरव शर्मा पुत्र स्व0 मदन मोहन शर्मा निवासी रौशनपुर, डार्ली रूड़की रोड़ मोदीमुम, मेरठ। (हेड आफ वेरिफिकेशन डिपार्टमेन्ट, मोनाड विश्वविद्यालय)

5– इमरान पुत्र शरीफ अहमद खॉन निवासी रेलवे रोड हापुड़। (एडमिशन डायरेक्टर मोनाड विश्वविद्यालय)

6– अनिल वत्रा पुत्र ज्ञानचन्द्र डी–220 सेक्टर–47 नोएडा। (एकाउण्टेण्ट, मोनाड विश्वविद्यालय)

7– विपुल ताल्यान पुत्र वीरेन्द्र सिंह कोठी सादर अली हापुड़। (हेड आफ वेरिफिकेशन डिपार्टमेन्ट, मोनाड विश्वविद्यालय)

8– कुलदीप पुत्र रविन्द्र सिंह नि0 गुलावठी, बलन्तनगर, बुलन्दशहर।

9– सनी कश्यप पुत्र टीटू सिंह नि0 म0नं0 1315 अर्जन नगर दिल्ली रोड हापुड़।

10– संदीप कुमार उर्फ संदीप सेहरावत पुत्र विजेन्द्र कुमार सिंह नि0 ग्राम चिरवाड़ी, थाना चौदहट, जनपद पलवल।(हरियाणा)

<u>बरामदगीः–</u>

1– 1372 अदद फर्जी मार्कशीट व डिग्री।

2– 262 अदद फर्जी प्रोविजनल एवं माइग्रेशन।

3– 14 अदद मोबाइल फोन।

4– 01 अदद आई पैड।

5– 07 अदद लैपटॉप।

6– रू0 6,54,800/– नगद।

7– 26 अदद इलेक्ट्रानिक उपकरण।

8– 06 अदद आधार कार्ड।

9– 01 अदद सफारी कार नं0 एचआर 29 एडब्लू 4578

10– 35 अदद लक्जरी गाड़ियों की चाभी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

मोनाड विश्वविद्यालय परिसर, थाना क्षेत्र पिलखुआ, जनपद–हापुड़। दिनांक 18–05–2025

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को पूर्व में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, कि मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड के विभिन्न कोर्सो की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाने का काम चल रहा है। इस सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में निरीक्षक ओमशंकर शुक्ला, निरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, मु0आ0 सरोज कुमार अवस्थी, मु0आ0 गिरजाशंकर यादव, मु0आ0 कुलदीप सिंह, मु0आ0 शिवभोला शुक्ला, मु0आ0 मुकेश प्रजापति, मु0आ0 भूपेन्द्र सिंह डॉगी, कमा0 राजकुमार, चालक, क0आ0 विनय कुमार, चालक रईस अहमद व शिवबीर की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद हापुड़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह का सदस्य संदीप कुमार उर्फ संदीप सेहरावत हरियाणा का निवासी है, जो हापुड़ आया हुआ है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा दिल्ली मुरादाबाद हाईवे, निकट मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के पास से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है, हरियाणा में मोनाड विश्वविद्यालय की बी0एड0, बी0ए0, बी0ए0 एल0एल0बी0, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि की फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां विश्वविद्यालय के चेयरमैन विजेन्द्र सिंह हुड्डा के कहने पर छापता है। इस काम में उसका सहयोगी राजेश भी रहता है। ये लोग प्रत्येक कोर्स के हिसाब से डिग्री व मार्कशीट के अनुसार 50 हजार से 04 लाख रूपये तक प्रति छात्र लेते है।

संदीप सेहरावत से पूछताछ के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मोनाड विश्वविद्यालय पहुॅची, जहॉ पर विजेन्द्र सिंह हुड्डा, नितिन कुमार सिंह आदि उपरोक्त अन्य व्यक्ति मौजदू मिले, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी अंकपत्र, डिग्री आदि प्रपत्र बरामद हुआ। इस क्रम में विश्वविद्यालय परिसर की छानबीन में भारी मात्रा में फर्जी अंकपत्र, डिग्री, माइग्रेशन, करेक्शन, वेरिफिकेशन आदि प्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसको नियमानुसार कब्जे में लेकर उपरोक्त सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त विजेन्द्र सिंह हुड्डा वर्ष–2017 में बाइक बोट घोटाले का मास्टर माइण्ड रहा है, जिसके विरूद्ध कई जिलों में लगभग सौ से अधिक मुकदमे दर्ज है। यह वर्ष–2022 से मोनाड विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा है और इसके कहने पर ही संदीप सेहरावत विश्वविद्यालय के अलग–अलग कोर्सो की र्माकशीट (अंकपत्र) एवं डिग्रियॉ एवं माइग्रेशन आदि पत्रत्र छापता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पिलखुआ, हापुड़ में मु0अ0सं0 290/2025 धारा 318(4), 336, 336(3), 340(1), 340(2) 111 बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।